RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
फरवरी
22
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

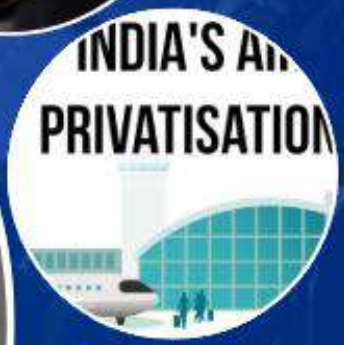

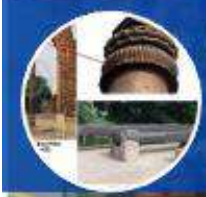

By Ankit Avasthi Sir

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों पर लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई / SC stays Lokpal's order on HC judges

संदर्भ:

हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी**, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की बात कही गई थी। न्यायालय ने इसे **"बेहद चिंताजनक" व्याख्या** करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकपाल आदेश पर रोक लगाने के कारण:

1. न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन:

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाना न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जो मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) का हिस्सा है।
- **अनुच्छेद 50:** न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को अनिवार्य करता है, जिससे न्यायिक कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप न हो।
- **अनुच्छेद 121:** संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है, जब तक कि वह महाभियोग (Impeachment) से संबंधित न हो, जिससे न्यायपालिका की स्वायत्तता बनी रहती है।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है:

- सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की इस दलील को खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय ब्रिटिश कानूनों के तहत बने थे, यह बताते हुए कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है।
- **अनुच्छेद 124:** सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना करता है।
- **अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है, जिससे वे कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रहते हैं।

3. न्यायिक निगरानी एक आंतरिक प्रक्रिया है

- सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक दुराचार (Judicial Misconduct) की जांच आंतरिक रूप से ही होनी चाहिए, या तो इन-हाउस प्रक्रिया के माध्यम से या फिर महाभियोग प्रक्रिया के तहत।
- **अनुच्छेद 124(4):** सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल संसदीय महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 217(1)(b):** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी केवल महाभियोग के माध्यम से ही संभव है।
- इसलिए, लोकपाल द्वारा न्यायाधीशों की जांच असंवैधानिक मानी गई।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:

- इस अधिनियम को भारत में **उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने** के लिए लागू किया गया था।
- **केंद्रीय स्तर पर लोकपाल** और **राज्यों में लोकायुक्त** की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- यह अधिनियम **प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसदों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों** के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य **शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही** सुनिश्चित करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. लोकपाल की स्थापना: अध्यक्ष सहित अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं।

2. क्षेत्राधिकार (Jurisdiction):

- **प्रधानमंत्री** (कुछ अपवादों के साथ), **मंत्री, सांसद, और केंद्र सरकार के ग्रुप A और B अधिकारी** इसके दायरे में आते हैं।

3. राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना:

- प्रत्येक राज्य को **अपना लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश** दिया गया है।

4. जाँच और अभियोजन की शक्ति:

- लोकपाल **स्वतंत्र जांच, अभियोजन की सिफारिश**, और **अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश** दे सकता है।

5. व्हिसलब्लोअर सुरक्षा:

- अधिनियम **भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा** का प्रावधान करता है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का महत्व:

1. भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करना:

- यह अधिनियम **स्वतंत्र निगरानी तंत्र** प्रदान करता है, जो **केंद्र और राज्यों में पारदर्शिता** सुनिश्चित करता है।

2. सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाना:

- **प्रधानमंत्री और सांसदों** को भी जांच के दायरे में लाकर **सरकार में जनता का विश्वास** मजबूत किया गया है।

3. लोकपाल को स्वतंत्र जांच की शक्ति:

- लोकपाल **स्वतंत्र रूप से जांच कर सकता है** और **अभियोजन की सिफारिश** कर सकता है, जिसके लिए उसे सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

4. राज्य स्तर पर सतर्कता सुनिश्चित करना: सभी राज्यों में **लोकायुक्त की अनिवार्य स्थापना** से **राज्य सरकारों में भी पारदर्शिता और जवाबदेही** सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष:

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, **भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र** है, जो **शासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है

भारत का बीमा क्षेत्र / India's Insurance Sector

संदर्भ:

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में भारत के **बीमा क्षेत्र** को G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बताया गया है। हालांकि, कुछ चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने **बीमा क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक समिति** का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता **दिनेश खारा** करेंगे।

- यह समिति **नियमों के आधुनिकीकरण, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने** पर ध्यान केंद्रित करेगी।

बीमा अधिनियम, 1938:

1. पृष्ठभूमि (Background):

- यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित (regulate) करने के लिए पारित किया गया था।

2. इसमें क्या शामिल है?

वैधानिक ढांचा (Statutory Framework): यह अधिनियम बीमा उद्योग को संचालित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

संस्थागत ढांचा (Institutional Framework): इस अधिनियम के तहत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की स्थापना हुई, जो इसकी कार्यान्वयन और निगरानी (Implementation & Regulation) करता है।

बीमा योजनाओं का निर्धारण:

- यह अधिनियम **भारत में उपलब्ध विभिन्न बीमा योजनाओं** को परिभाषित करता है, जैसे:
  - **जीवन बीमा (Life Insurance)**
  - **सामान्य बीमा (General Insurance)**
  - **स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance)**

बीमा एजेंटों की नियुक्ति: अधिनियम के तहत बीमा कंपनियों को बीमा एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई, जो बीमा योजनाओं का प्रचार और बिक्री कर सकते हैं

बीमा सुधार क्यों आवश्यक हैं?

1. बीमा कवरेज में कमी (Low Insurance Penetration & Density):

- बीमा कवरेज **FY23 में 4% से घटकर FY24 में 3.7%** हो गया, जो वैश्विक औसत से कम है।
- **जीवन बीमा (Life Insurance)** कवरेज **3% से घटकर 2.8%** रह गया।
- **ग़ैर-जीवन बीमा (Non-Life Insurance)** अभी भी **1%** पर स्थिर है।

2. नियामक खामियां और सुधार की ज़रूरत (Regulatory Gaps & Need for Simplification):

- जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए **अलग-अलग और जटिल नियम**।
- **क्लेम निपटान (Claim Settlement) में देरी**, उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली को मज़बूत करने की ज़रूरत।
- **डिजिटल सुरक्षा (Cybersecurity)** को बेहतर बनाने की आवश्यकता।

3. उभरते जोखिम और साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ (Emerging Risks & Cybersecurity Challenges)

- **जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक अस्थिरता और साइबर खतरों** के कारण जोखिम प्रबंधन बदल रहा है।
- **डिजिटल धोखाधड़ी (Digital Fraud) और गलत बिक्री (Misselling)** उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चिंता बन गए हैं।

4. नवाचार और निवेश को बढ़ावा (Boosting Innovation & Investment):

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन और इंश्योरटेक (Insurtech)** जैसे तकनीकी नवाचारों के लिए बेहतर नियामक ढांचा आवश्यक।
- बीमा क्षेत्र में **विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को और सरल बनाना** ज़रूरी।

5. ग्रामीण और MSME कवरेज का विस्तार (Expanding Rural & MSME Coverage):

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और आयुष्मान भारत** जैसी सरकारी योजनाओं ने कवरेज बढ़ाया, लेकिन **निजी क्षेत्र की भागीदारी कम** है।
- **MSME, गिग वर्कर्स और ग्रामीण समुदायों** के लिए कस्टमाइज़्ड बीमा योजनाएँ आवश्यक

हवाई अड्डे का निजीकरण / Airport Privatisation

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल** के तहत देशभर के **10 से अधिक हवाई अड्डों के निजीकरण** की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

हवाई अड्डों के निजीकरण पर निर्णय:

1. कैबिनेट का निर्णय:

- सरकार यह तय करेगी कि **किन हवाई अड्डों को पट्टे पर दिया जाएगा** और आगामी दौर में समझौते की शर्तों में क्या बदलाव किए जाएं।
- यह प्रक्रिया **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)** के तहत की जा रही है।

2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत योजना:

- **2022 से 2025** के बीच **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** के **25 हवाई अड्डों** को पट्टे पर देने की योजना बनाई गई है।
- इसमें भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, तिरुचि, इंदौर, रायपुर, कोझीकोड, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंद्री शामिल हैं।

3. हवाई अड्डों को पट्टे पर देने का उद्देश्य:

- **प्रबंधन में सुधार**: निजी क्षेत्र की **प्रभावशीलता (Efficiency) और निवेश** का उपयोग करके हवाई अड्डों का संचालन बेहतर बनाना।
- **मिश्रित नीलामी प्रक्रिया**: लाभदायक और गैर-लाभदायक हवाई अड्डों को **सामूहिक रूप से नीलामी में शामिल** कर विभिन्न निवेशकों को आकर्षित करना

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)

1. उद्देश्य (Aim)

- **केंद्र सरकार की मूल परिसंपत्तियों (Core Assets) को पट्टे (Leasing) पर देकर ₹6 लाख करोड़ की संभावित आय** उत्पन्न करने की योजना।
- इसमें **गैर-मूल परिसंपत्तियों (Non-Core Assets) जैसे भूमि, भवन आदि का मुद्रीकरण शामिल नहीं** है।

2. मुख्य परिसंपत्तियां (Core Assets): सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, बंदरगाह जलमार्ग, खनन, गोदाम, स्टेडियम और खेल परिसर ।

3. सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले क्षेत्र

- सड़क (Roads) - 27%
- रेलवे (Railways) - 25%
- बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार
- सड़क और रेलवे मिलाकर कुल 52% हिस्सेदारी रखते हैं।

हवाई अड्डों के निजीकरण के लाभ:

1. हवाई अवसंरचना (Infrastructure) का समान विकास: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की नीलामी से मिली राजस्व आय का उपयोग कम विकसित और विकासशील क्षेत्रों में हवाई अड्डों के निर्माण में किया जा सकता है।

2. सेवा दक्षता (Efficiency) में सुधार: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) से बेहतर सेवा वितरण, विशेषज्ञता और पेशेवर दृष्टिकोण आता है।

- इससे निवेश की आवश्यकता भी पूरी होती है, जिससे हवाई अड्डों का प्रबंधन और संचालन कुशल बनता है।

3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की आय में वृद्धि: **PPP मॉडल** के कारण हवाई अड्डों पर **बेहतर सेवाएं** मिलती हैं, जिससे **यात्री संतुष्टि और राजस्व** दोनों बढ़ते हैं।

- **AAI को बिना किसी निवेश के अधिक राजस्व प्राप्त होता है।**

4. निवेश और अधोसंरचना (Infrastructure) उन्नयन: हवाई अड्डों का निर्माण और प्रबंधन **पूंजी-गहन (Capital Intensive) व्यवसाय** है।

- हर कुछ वर्षों में **नई तकनीकों को अपनाना जरूरी** होता है, लेकिन सरकार सभी हवाई अड्डों को एक साथ अपग्रेड नहीं कर सकती।
- **निजी कंपनियां हवाई अड्डों को उन्नत बना सकती हैं और यात्री सेवाओं से निवेश की भरपाई कर सकती हैं।**

5. स्थानीय अर्थव्यवस्था (Local Economy) को बढ़ावा: जब हवाई अड्डों को **व्यवसाय की तरह चलाया जाता है**, तो वे अधिक यात्रियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।

- हवाई अड्डा संचालक स्थानीय पर्यटन बोर्ड और व्यवसायों के साथ मिलकर यात्रियों की संख्या बढ़ा सकते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा

अश्लील सामग्री / Obscene Content

संदर्भ:

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर **अश्लील, पोर्नोग्राफिक या अभद्र सामग्री के प्रसार** को लेकर शिकायतों के बाद एक परामर्श (अडवाइजरी) जारी किया है।

ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए सलाह के मुख्य बिंदु:

1. आईटी नियम, 2021 का पालन अनिवार्य: ओटीटी प्लेटफार्मों को आईटी नियम, 2021 के तहत आचार संहिता (Code of Ethics) और आयु-आधारित वर्गीकरण का सख्ती से पालन करना होगा।

2. कानूनी ढांचा:

- यह सलाह **अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री** को प्रतिबंधित करने वाले विभिन्न कानूनों का उल्लेख करती है, जिनमें शामिल हैं:
  - महिला अशोभनीय प्रस्तुतीकरण अधिनियम, 1986
  - भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
  - POCSO अधिनियम (बाल संरक्षण के लिए)
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

3. तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र:

स्तर-I: प्रकाशकों (OTT प्लेटफार्मों) द्वारा आत्म-नियमन:

- ओटीटी प्लेटफार्मों को **शिकायत अधिकारी (Grievance Officer)** नियुक्त करना होगा, जो **15 दिनों** के भीतर शिकायतों का निपटारा करेगा।
- **आचार संहिता** और **सामग्री वर्गीकरण** का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

स्तर-II: स्व-नियामक निकाय (SRB) द्वारा निगरानी:

- प्रकाशकों के निर्णयों की समीक्षा, अपीलों का निपटारा, और नैतिक अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

स्तर-III: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निगरानी:

- मंत्रालय सलाह, चेतावनी जारी कर सकता है या उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकता है।
- शिकायत अपीलीय समिति (GAC) लंबित शिकायतों की समीक्षा कर सकती है।

ओटीटी नियमन में चुनौतियाँ:

1. स्वतंत्रता और नियमन के बीच संतुलन: **अत्यधिक नियमों** के कारण **स्व-नियंत्रण (Self-Censorship)** बढ़ सकता है, जिससे **रचनात्मकता प्रभावित** हो सकती है।

- **संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** की गारंटी देता है, लेकिन शालीनता और नैतिकता के आधार पर कुछ प्रतिबंधों की अनुमति देता है।

2. शिकायत निवारण की विषयगत व्याख्या: आपत्तिजनक सामग्री की अलग-अलग व्याख्या से असंगत निर्णय आ सकते हैं, जिससे नियमन में अस्पष्टता बनी रहती है।

3. अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) की समस्या: वैश्विक ओटीटी प्लेटफार्मों को भारतीय कानूनों के अनुसार ढलने में कठिनाई होती है, जिससे कानूनी टकराव की स्थिति बन सकती है।

4. सेंसरशिप को लेकर चिंताएँ: सरकार की अत्यधिक दखलअंदाजी, नियमों की अस्पष्टता, और राजनीतिक पक्षपात को लेकर चिंता बढ़ रही है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है।

5. एआई मॉडरेशन की चुनौतियाँ: स्वचालित (AI आधारित) सामग्री मॉडरेशन कभी-कभी संस्कृति और संदर्भ को सही ढंग से नहीं समझ पाता, जिससे अनुचित प्रतिबंध **(Takedown)** लग सकते हैं।

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई के प्रतिबंध / RBI Restrictions on New India Co-operative Bank

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक** में **धन के दुरुपयोग** की आशंका के चलते हस्तक्षेप किया है। केंद्रीय बैंक ने **एक प्रशासक नियुक्त किया** और **जमाकर्ताओं की सुरक्षा** के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं।

सहकारी बैंक (Cooperative Banks):

परिभाषा:

- सहकारी बैंक एक सहकारी समिति होती है, जो राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत होती है और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती है।
- ये बैंक सदस्यों के स्वामित्व और संचालन में होते हैं, जो स्वयं ग्राहक भी होते हैं।
- इन बैंकों में "एक व्यक्ति, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत के आधार पर सभी सदस्यों के समान मतदान अधिकार होते हैं।

प्रकार:

1. **शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative Banks - UCBs)**
2. **ग्रामीण सहकारी बैंक (Rural Cooperative Banks - RCBs)**

उद्देश्य:

- ग्रामीण वित्तपोषण (Rural Financing) और सूक्ष्म-वित्तपोषण (Micro-Financing) को बढ़ावा देना।
- कृषि, लघु उद्योगों और स्वरोजगार को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

भारत में सहकारी बैंकों का नियमन:

भारत में **सहकारी बैंकों** का नियमन **दो संस्थाएँ** करती हैं:

1. **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):**
   - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और सहकारी समितियों पर बैंकिंग कानून (अनुप्रयोग) अधिनियम, 1965 के तहत आरबीआई इन बैंकों के बैंकिंग से जुड़े पहलुओं का नियमन करता है।
   - इसमें पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy), जोखिम नियंत्रण (Risk Control) और ऋण देने के नियम (Lending Norms) शामिल हैं।
2. **सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार:**
   - राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले यह रजिस्ट्रार इन बैंकों के प्रबंधन-संबंधी पहलुओं का निरीक्षण करते हैं।
   - इसमें पंजीकरण (Registration), प्रबंधन (Management), लेखा परीक्षा (Audit), निदेशक मंडल का विघटन और परिसमापन (Liquidation) शामिल है।

शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative Banks):

परिचय:

- ये प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं जो **शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों** में कार्यरत हैं।
- इनका **कानूनी दर्जा** राज्य सहकारी समितियों अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत होता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत इनकी बैंकिंग गतिविधियों का **नियमन और पर्यवेक्षण** करता है।

शहरी सहकारी बैंकों से जुड़े प्रमुख मुद्दे

1. **कम पूंजीकरण (Low Capitalization) –** कई UCBs में पूंजी पर्याप्तता का स्तर कम होता है, जिससे वे **आर्थिक संकटों** के प्रति संवेदनशील होते हैं।
2. **गवर्नेंस समस्याएँ:** धोखाधड़ी और कुप्रबंधन के मामलों से **निवेशकों में चिंता** बढ़ती है।
3. **उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (High NPAs)** – बढ़ते एनपीए से इन बैंकों की **लाभप्रदता और वित्तीय स्थिरता** प्रभावित होती है।

शहरी सहकारी बैंकों के सुधार हेतु उठाए गए कदम:

1. **नया त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचा:** आरबीआई की यह नियामक प्रणाली वित्तीय रूप से कमजोर UCBs पर कुछ प्रतिबंध लगाकर उनकी स्थिति सुधारने में मदद करती है।
2. **राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC):** यह राष्ट्रीय स्तर की छत्र संगठन है, जो UCBs की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने का काम करती है।
3. **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020:** यह आरबीआई को जरूरत पड़ने पर किसी सहकारी बैंक के बोर्ड को भंग करने का अधिकार देता है।
4. **अन्य सुधार:** UCBs को **चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया** है।
   - उन्हें शेयर जारी करने की अनुमति दी गई है ताकि वे पूंजी जुटा सकें।

मेजराना 1 / Majorana 1

संदर्भ:

माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला **क्वांटम कंप्यूटिंग चिप 'Majorana 1'** लॉन्च किया है, जिसे **अधिक स्थिर, तेज़ और व्यावहारिक** क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विकसित किया गया है।

Majorana 1:

परिचय:

- **Majorana 1** एक **क्वांटम कंप्यूटिंग चिप** है, जिसे Microsoft ने विकसित किया है।
- यह Majorana कणों (एक विशेष क्वांटम अवस्था) का उपयोग करता है, जिससे **कम्प्यूटेशनल त्रुटियों को कम** किया जा सके।
- इसे DARPA (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency) द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह DARPA के US2QC प्रोग्राम के फाइनलिस्ट में शामिल है।

कैसे काम करता है?

1. **टोपोकंडक्टर्स (Topoconductors):** इसमें **टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर** नामक नए पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो **Majorana कणों को नियंत्रित** करता है।
2. **त्रुटि-प्रतिरोधी क्यूबिट्स (Error-Resistant Qubits):** पारंपरिक क्यूबिट्स की तुलना में **Majorana-आधारित क्यूबिट्स अधिक स्थिर** होते हैं और डेटा हानि की संभावना कम होती है।
3. **स्केलेबिलिटी (Scalability):** इसे **10 लाख क्यूबिट्स तक स्केल करने** के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे **वास्तविक दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग संभव** हो सके।

क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित अनुप्रयोग

1. **क्रिप्टोग्राफी (Cryptography):** क्वांटम कंप्यूटर **पारंपरिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम** को तोड़ सकते हैं, जिससे **क्वांटम-सुरक्षित क्रिप्टोग्राफिक विधियों** के विकास की आवश्यकता होगी।
2. **स्वास्थ्य और दवा खोज (Healthcare and Drug Discovery):** क्वांटम कंप्यूटिंग **परमाणु स्तर पर आणविक इंटरैक्शन** का सटीक अनुकरण कर सकती है, जिससे **नई दवाओं और उपचारों की खोज** तेजी से हो सकेगी।
3. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (Machine Learning):**
   - क्वांटम एल्गोरिदम क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में अधिक तेज़ी से अनुकूलन समस्याओं को हल कर सकते हैं, जिससे AI मॉडल अधिक सक्षम बनेंगे।
4. **वित्तीय मॉडलिंग (Financial Modeling):** क्वांटम कंप्यूटर बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करके बाजार प्रवृत्तियों (market trends) की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं।
5. **जलवायु मॉडलिंग (Climate Modeling):** जटिल वायुमंडलीय इंटरैक्शन का विश्लेषण कर क्वांटम सिमुलेशन जलवायु परिवर्तन की अधिक सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग की चुनौतियाँ:

1. **सुरक्षा जोखिम (Security Risks):** क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं, जिससे नए क्रिप्टोग्राफिक मानकों (standards) के विकास की आवश्यकता होगी।
2. **त्रुटि सुधार (Error Correction):** क्वांटम कंप्यूटर अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे उनमें गलतियों की संभावना अधिक होती है और इसके लिए उन्नत त्रुटि-सुधार तकनीकों की आवश्यकता होती है।
3. **हार्डवेयर सीमाएँ (Hardware Limitations):** क्वांटम क्यूबिट्स (qubits) को स्थिर बनाए रखना बहुत कठिन होता है क्योंकि वे बाहरी वातावरण के प्रभावों से प्रभावित होते हैं।
4. **विस्तार क्षमता (Scalability):** बड़े पैमाने पर क्वांटम सिस्टम बनाना कठिन है, क्योंकि उन्नत क्रायोजेनिक (अत्यधिक ठंडे) तकनीकों की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी विकास और रखरखाव लागत बहुत अधिक होती है।

कोरोनल होल्स / Coronal Holes

संदर्भ:

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के एक नए अध्ययन में **सौर कोरोना छिद्रों (Solar Coronal Holes)** की **तापीय और चुंबकीय क्षेत्र संरचनाओं** का सटीक अनुमान लगाया गया है।

कोरोनल होल्स (Coronal Holes) के बारे में:

1. **परिचय:** कोरोनल होल्स सूर्य के वायुमंडल में मौजूद **अंधेरे क्षेत्र** होते हैं, जो **एक्स-रे (X-ray) और चरम पराबैंगनी (EUV) प्रकाश** में दिखाई देते हैं।
2. **खोज:** इन्हें **1970 के दशक में एक्स-रे उपग्रहों** द्वारा खोजा गया था।
3. **प्रभाव:** कोरोनल होल्स का **अंतरिक्ष मौसम (Space Weather) पर प्रभाव** होता है, लेकिन इनका **पृथ्वी के जलवायु और विशेष रूप से भारतीय मानसून पर प्रभाव** अभी भी अध्ययन का विषय बना हुआ है।

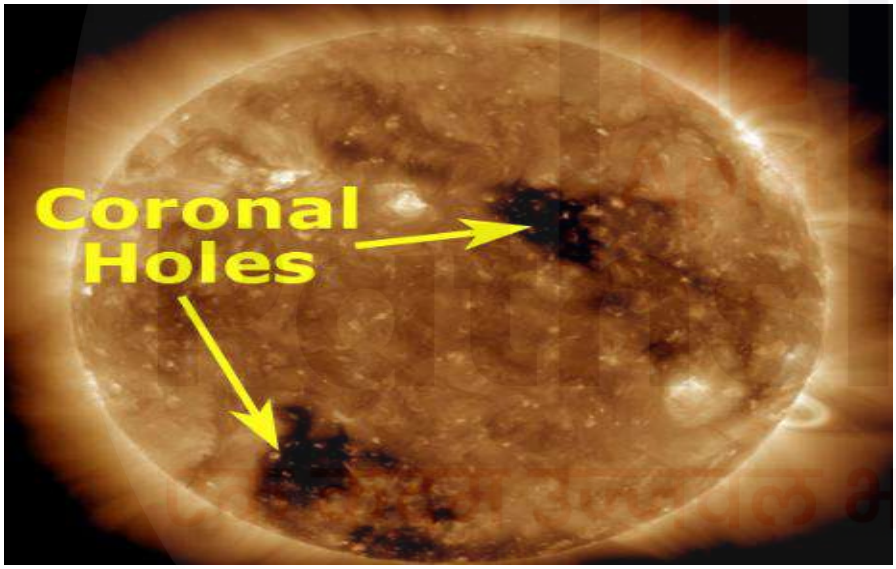

सौर कोरोनल होल्स की विशेषताएँ:

1. **अंधेरे दिखाई देते हैं:**
   - यह **ठंडे और कम घने क्षेत्र** होते हैं, जो आसपास के **प्लाज्मा से अलग दिखते हैं।**
   - इनमें **खुले और एकध्रुवीय (Unipolar) चुम्बकीय क्षेत्र** होते हैं।
2. **अंतरिक्ष मौसम में भूमिका:**
   - इनके **खुले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ** होती हैं, जो **अंतरग्रहीय माध्यम (Interplanetary Medium) और अंतरिक्ष मौसम (Space Weather) को समझने** में मदद करती हैं।
3. **अवधि:**
   - कोरोनल होल्स **कुछ सप्ताह से लेकर कई महीनों तक** बने रह सकते हैं।
   - यह **सूर्य के लगभग 11-वर्षीय सौर चक्र** के दौरान विभिन्न समयों पर दिखाई देते हैं।
4. **सौर न्यूनतम (Solar Minimum) के दौरान प्रभाव:**
   - सौर न्यूनतम के दौरान, जब सूर्य की गतिविधि **काफी कम होती है,** ये होल्स **लंबे समय तक बने रह सकते हैं।**
   - नासा के अनुसार, इस अवधि में कोरोनल होल्स अधिक समय तक मौजूद रहते हैं।

अध्ययन का महत्व और प्रभाव:

1. **कोरोनल होल्स के निर्माण को समझने में योगदान:**
   - अध्ययन से **तापमान और चुम्बकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों** को समझने में मदद मिली है।
   - इससे **पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु पर दीर्घकालिक प्रभावों** का विश्लेषण संभव हुआ है।
2. **अंतरग्रहीय माध्यम (Interplanetary Medium) पर प्रभाव:**
   - यह अध्ययन **कोरोनल होल्स द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा** को समझने में मदद करता है।
   - इसके परिणाम **सौर घटनाओं की उत्पत्ति और उनके विकास** को समझने में सहायक हैं।
3. **सौर डिस्क पर कोरोनल होल्स की गति का विश्लेषण:** अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि सौर डिस्क पर यात्रा करते समय ये नज़दीकी-भूमध्यरेखीय (Near-Equatorial) कोरोनल होल्स कैसे विकसित होते हैं।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

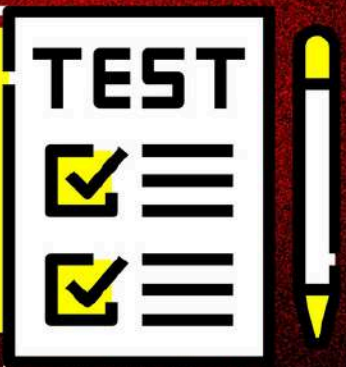

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !